मि.सं.ई. 11017/4/2013-रा.भा.

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 26 मई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : माननीय संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खण्ड की सिफारिशों के संबंध में

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसदीय समिति द्वारा 9वें खण्ड में की गई सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों का संकल्प मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अनुपालनार्थ अवगत कराने के लिए अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है।

इस संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी प्रभागाध्यक्ष और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2017 के संकल्प में दिए गए आदेश के अनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 में किए गए प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई. 11012/1/2013-रा.भा. के माध्यम से जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। जांच बिंदु के अनुपालनार्थ जिम्मेदार पदधारियों को भी निर्धारित किया गया है ताकि राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन हो सके। इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट इस मंत्रालय को शीघ्र भेजें। यह संकल्प मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न : यथोपरि।

(डॉ. आर. रमेश आर्य)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

वितरण:

1. मंत्रालय के सभी प्रभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख/प्रभारी अधिकारी/संबंधित सहायक।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय(RD)/कंपनी रजिस्ट्रार (ROC)/शासकीय समापक (OL) के प्रभारी अधिकारी।
3. रजिस्ट्रार, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान(IICA)/निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (SFIO)/सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)/रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (COMPAT)/राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (NCLT)/राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT)।
4. राजभाषा विभाग, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. ई-गवर्नेंस सेल, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. निदेश मिसिल